भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 77*
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना

*77. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा उपचार का लाभ प्रदान करने के लिए दिल्ली में कार्यरत संस्थान, जिसका बिना किसी दुष्प्रभाव के कई रोगों का इलाज करने का एक लंबा सफल इतिहास है, के समान प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या है;
(ग) क्या आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई अन्य योजना बनाई गई है; और
(घ) यदि हां, तो चिकित्सा पद्धति-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 29 नवंबर, 2024 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 77* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए, आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं नामतः आयुष औषधि गुणवत्त एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन (आईसी), सूचना, शिक्षा और संचार संवर्धन (आईईसी), औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए योजना (सीडीएसएमएमपी), आयुस्वास्थ्य योजना और आयुर्ज्ञान, को कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अलावा, देश में नए आयुर्वेद संस्थानों को खोलने की घोषणा की गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की गई है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गईं राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी)

के अनुरूप एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुष चिकित्सा पद्धति के समग्र विकास और संवर्धन के उनके प्रयासों का समर्थन किया जा रहा है। इस मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा अवसंरचना सहित निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान हैं:-

i. आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम)- आयुष का संचालन
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुर्वेद संबंधी आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं
v. 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति
vii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है
viii. आयुष स्नातक संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास
ix. आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना
x. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

एनएएम के तहत एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक 4534.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। एनएएम योजना के कार्यान्वयन के बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और लोकप्रियकरण संबंधी उपलब्धि का पैमाना काफी बढ़ गया है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से एनएएम योजना की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एनएएम का बजट आवंटन क्रमानुसार (वर्ष 2014-15 में) 75.28 करोड़ रुपये से बढ़कर (वर्ष 2024-25 में) 1200.00 करोड़ रुपये हो गया। एनएएम के तहत, विभिन्न आयुष पद्धतियों के विकास और प्रचार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को समेकित निधियां जारी की जा रही हैं तथा पद्धति-वार निधियां जारी नहीं की जा रही हैं।

एनएएम के तहत वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास, संवर्धन और लोकप्रियकरण के लिए समर्थित प्रमुख गतिविधियाँ निम्न प्रकार हैं:-

i. एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए 167 इकाइयों को सहायता दी गई।
ii. बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए 416 आयुष अस्पतालों और 5036 आयुष औषधालयों को सहायता दी गई।
iii. औसतन प्रत्येक वर्ष दवाओं और आकस्मिक सहायता की आवर्ती सहायता के लिए सह-स्थान के तहत 2322 पीएचसी, 715 सीएचसी और 314 डीएच को सहायता दी गई।
iv. औसतन प्रत्येक वर्ष आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए 996 आयुष अस्पतालों और 12405 आयुष औषधालयों को सहायता दी गई।
v. नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 16 इकाइयों को सहायता दी गई।
vi. बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय और अन्य प्रकार के उन्नयन के लिए 76 स्नातक और 36 स्नातकोत्तर आयुष शैक्षणिक संस्थानों को सहायता दी गई।
vii. 1055 आयुष ग्रामों को सहायता दी गई।
viii. 12500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को स्वीकृति दी गई।

आयुर्वेद, योग और अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के तहत पारंपरिक चिकित्सा की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना शुरू की गई। इसके लिए आयुष पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने, विभिन्न देशों में पद्धति संबंधी विशेषज्ञों को नियुक्त करने, विभिन्न देशों में आयुष सूचना प्रकोष्ठों की स्थापना आदि के माध्यम से पद्धति के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आयुष के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक था। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय

स्तर पर आयुष को बढ़ावा देने की उभरती जरूरतों का समर्थन करने के लिए IXवीं, Xवीं, XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना लागू की गई थी। योजना के घटक निम्न प्रकार हैं:-

i. विशेषज्ञों और अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान,
ii. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और रोड शो आदि में भाग लेकर आयुष के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार के लिए दवा निर्माताओं, उद्यमियों, आयुष संस्थानों, अस्पतालों आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना और निर्यात के लिए विभिन्न देशों जैसे यूएसएफडीए/ईएमईए/यूके-एमएचआरए/एनएचपीडी/टीजीए आदि के नियामक निकायों में आयुष उत्पादों (बाजार प्राधिकरण) का पंजीकरण,
iii. अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास और आयुष संवर्धन-संबंधी गतिविधियों के लिए समर्थन,
iv. विदेशी भाषाओं में आयुष साहित्य/पुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन,
v. भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में आयुष पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए विदेशी नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप/छात्रवृत्ति कार्यक्रम।
vi. उत्पादों तथा सेवाओं के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना और सुदृढ़ीकरण।

मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है। यह योजना राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग मेलों/उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। यह मंत्रालय आयुष पद्धति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टी-मीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है।

यह मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 से आयुर्स्वास्थ्य योजना नामक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के 02 घटक हैं: (i) आयुष और जनस्वास्थ्य (ii) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)। आयुष और आयुर्स्वास्थ्य योजना के जन स्वास्थ्य घटक के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

- सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष उपचार को बढ़ावा देना।
- जन स्वास्थ्य में आयुष स्वास्थ्य देखभाल के लाभों को प्रदर्शित करना।
- आयुष पद्धति को एकीकृत करके सतत विकास लक्ष्य-2 (एसडीजी2) और सतत विकास लक्ष्य-3 (एसडीजी 3) के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में आयुष उपचारों के माध्यम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता को प्रलेखित करना, जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है।

आयुष मंत्रालय वर्ष 2021-2026 के लिए 122 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका एक उद्देश्य आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकों और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए तालमेल, सहयोग और अभिसरण दृष्टिकोण के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय के तहत निम्नलिखित 12 राष्ट्रीय संस्थान और 05 अनुसंधान परिषदें आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के समन्वय, निर्माण, विकास, संवर्धन और लोकप्रिय बनाने में लगी हुई हैं:

i. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
ii. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
iii. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली
iv. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
v. पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
vi. पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट
vii. राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु
viii. आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर
ix. राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
x. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
xi. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
xii. राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर), लेह
xiii. केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)
xiv. केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन)

xv. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)
xvi. केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस)
xvii. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 02 सांविधिक निकाय अर्थात भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नियामक आयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आयुष पद्धति के महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से देश भर में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल, जन स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के आयुष संस्थान आम लोगों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग करके अपनी आईईसी गतिविधियों के माध्यम से आयुष के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय/राज्य स्तर के आरोग्य मेलों, स्वास्थ्य शिविरों, प्रदर्शनियों, एक्सपो के माध्यम से व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। आयुष मंत्रालय अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्थात फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि पर आयुष चिकित्सा पद्धति को डिजिटल रूप से बढ़ावा दे रहा है।

स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नैदानिक मोबाइल अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ, आयुष के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए अन्य आउटरीच कार्यक्रम जैसे अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम, आदिवासी स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी) आदि भी चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न बीमारियों के निवारक पहलुओं के लिए जागरूकता पैदा करने और रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए एससी/एसटी आबादी वाले गांवों का चयन किया गया है।

आयुष मंत्रालय पोषण महा अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों में भाग लेकर, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों/स्कूली स्वास्थ्य जांच में भागीदारी करके, आयुष इकाइयों और उपचार केंद्रों के ओपीडी/आईपीडी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके, विभिन्न धाराओं में विद्वत्-समीक्षा वाली शोध पत्रिकाओं/समाचार पत्रों/बुलेटिनों का प्रकाशन करके देश भर में अपने विभिन्न संस्थानों के माध्यम से आयुष के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रचार-प्रसार करता है, जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय पाठकों के लिए भी उपलब्ध हैं ताकि जनता के बीच शोध के परिणामों का प्रचार-प्रसार किया जा सके, जो आयुष के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार और लोकप्रियकरण में भी योगदान देता है।

आयुष मंत्रालय की वेबसाइट और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विनियामक निकायों आदि पर भी आयुष के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी उपलब्ध है तथा इन्हें अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों के साथ हाइपरलिंक किया गया है, जो व्यापक उपयोगिता के लिए जानकारी प्रदान करते हैं।

*****